तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 133/2017(जी.सी.एम.एस. नंबर 2017/00239) बअनवान प्रेमसिंह बनाम हरीसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या छः की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट को अदालत हाजा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 5 के सही पत्ते के सम्मन पेश करने हेतु बार-बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में वादग्रस्त आराजी पर अपने हक-हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करने का अनुतोषा चाहा है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 17.11.2017 के जरिये अपीलांट को उसके खाते में दर्ज एवं कब्जा काश्त की भूमि में कृषि कार्य करने का वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष जारी जारी कृषि कार्य करने की छूट को निरंतर रखते हुए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 में अपीलांट को अपने खाते में दर्ज एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि कार्य की छूट प्रदान करते हुए मामला विचारण न्यायालय को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	